



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
सेवा एकक अनुभाग / Services Units Section

अणुशक्तिभवन/Anushakti Bhavan,  
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग/C.S.M Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400 001.

No. 5/24(2)/2022-SUS/14839

November 09 , 2023

**OFFICE MEMORANDUM**

Subject: - Reconstitution of DAE Mumbai Township Management Committee  
(DAE MTMC) – Regarding

\*\*\*\*\*

कार्यालय ज्ञापन संख्या: - 5/24(2)/2022-एसयूएस/4679 दिनांक 06.04.2022 के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नानुसार डीईई मुंबई टाउनशिप प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया है:

In supersession to OM No: - 5/24(2)/2022-SUS/4679 dated 06.04.2022, the Competent Authority in the Department has reconstituted DAE Mumbai Township Management Committee as follows:

(i)	निदेशक, बीएआरसी / Director, BARC	-	Chairman
(ii)	अपर सचिव, पऊवि /Additional Secretary, DAE	-	Vice-Chairman
(iii)	निदेशक, डीसीएसईएम / Director, DCSEM	-	Secretary
(iv)	निदेशक, डीपीएस / Director, DPS	-	Member
(v)	सचिव, पऊवि खेल एवं सांस्कृतिक परिषद / Secretary, DAE Sports & Cultural Council	-	Member
(vi)	नियंत्रक, बीएआरसी / Controller, BARC	-	Member
(vii)	मुख्य कार्यकारी, भापाबो द्वारा मनोनीत सदस्य / Member Nominated by Chief Executive, HWB	-	Member
(viii)	ईआरबी द्वारा मनोनीत सदस्य / Member nominated by AERB	-	Member
(xi)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनपीसीआईएल द्वारा मनोनीत सदस्य / Member nominated by CMD, NPCIL	-	Member
(x)	सचिव, आईईएस / Secretary, AEES	-	Member
(xi)	डीन, एचबीएनआई / Dean, HBNI	-	Member
(xii)	संयुक्त नियंत्रक) एफ एंड ए(, डीसीएसईएम / Joint Controller (F&A), DCSEM	-	Member
(xiii)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीसीएसईएम / Chief Administrative Officer, DCSEM	-	Member Secretary



(2)

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

The Terms of Reference of the Committee shall be as under:

- i. डीएई भूमि के आसपास पुनर्वास के लिए पुनर्विकास और कल्याण उपायों सहित डीएई भूमि के उपयोग के लिए योजना की समीक्षा और अंतिम रूप देना।  
To review and finalise the plan for utilisation of DAE lands including redevelopment and welfare measure for rehabilitation in and around DAE lands etc.
- ii. टाउनशिप में सुविधाओं के प्रबंधन के लिए प्रस्तावित विभिन्न समितियों के गठन सहित डीटीएसी की सिफारिशों की समीक्षा, विचार और निर्णय लेना। डीसीएसईएम दुकानें आवंटन सलाहकार समिति )एसएसी (और डीसीएसईएम किराया समिति) आरसी (की सिफारिशों की भी डीटीएसी की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा/अनुमोदन किया जाएगा। डीसीएसईएम के डीएई एमटीएमसी का श्रेणीबद्ध प्रतिनिधित्व अनुबंध-I में संलग्न है।  
To review, consider and decide on recommendation of DTAC including formation of various committee(s) proposed to manage the facilities in townships. DCSEM Shops Allotment Advisory Committee (SAAC) and DCSEM Rent Committee (RC) recommendations shall also be reviewed / approved based on recommendations of DTAC. The hierarchical representation of the DAE MTMC of DCSEM is enclosed at Annex-I.
- iii. विशेष विद्यालयों सहित सेवा प्रदाताओं को भूमि/भवन/दुकान आदि के आवंटन की स्वीकृति एवं वर्तमान नियमानुसार किराया/लाइसेंस शुल्क/पट्टे का निर्धारण।  
To approve allotment of Lands/Buildings/Shops etc. to service providers including Special Schools and fixation of rent /license fee/lease as per extant rule.
- iv. डीएई टाउनशिप के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुंबई में डीसीएसईएम क्षेत्र के तहत तैनात डीएई इकाइयों के सुचारू कामकाज के लिए किसी भी अन्य सामान्य मुद्दों को तय करना।  
To decide any other common issues for smooth functioning of DAE units stationed under DCSEM area in Mumbai for improving the quality of life of residents of DAE townships.
- v. टाउनशिप में सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा और विचार करना।  
To review and consider safety and security related issues in townships.

3. समिति द्वारा लिए गए निर्णय को सूचना के लिए समय-समय पर आरओडी/एमओएम के माध्यम से पऊवि को अवगत कराया जाएगा। समिति के निर्णय के आधार पर, जहां भी आवश्यक हो, डीसीएसईएम निधि आवश्यकताओं के लिए डीएई से संपर्क करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, निदेशक, डीसीएसईएम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समिति जितनी बार आवश्यक हो और तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

...3/-

(3)

Decision taken by the committee shall be conveyed to DAE vide ROD/MOM from time to time for intimation. Based on the decision of the Committee, DCSEM shall approach DAE for fund requirements, wherever necessary. In the absence of Chairman, Vice-Chairman shall function as Chairman. In absence of both Chairman and Vice-Chairman, Director, DCSEM shall chair the meeting. The Committee shall meet as often as necessary and atleast once in a quarter.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of Competent Authority.



Digitally signed  
by BIPIN KURUP  
Date: 2023.11.10  
16:22:34 +05'30'

(Bipin Kurup)  
Under Secretary (SUS)

**डीईई एमटीएमसी के अध्यक्ष और सदस्य**  
**Chairman and Members of DAE MTMC**

Copy to: -

प्रमुख, मुंबई में पऊवि की संघटक इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायता प्राप्त संस्थानों  
Heads of Constituent Units of DAE/PSUs/Aided-Institutions